राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

आई.टी.शाखा,मुख्यालय,जयपुर ।

टेलीफोन नं.-0141-2360254, ई-मेल - rsrtc.dygmit@gmail.com

File Number:F3/HO/ST/IT/27/2023/-01515-Part File(11) /365

जयपुर , Date: 07/05/2024

परिपत्र

निगम वाहनों में वीटीएस एवं पैनिक बटन लगाये जाने हेतु फर्म मै0 टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटेन्टस इंडिया लि0, टी.सी.आई.एल. भवन, ग्रेटर कैलाश-1, नई-दिल्ली-110048 को 5 वर्ष हेतु कार्यादेश क्रमांक 433 दिनांक 18.07.2023 जारी किया गया है। वीटीएस एवं पैनिक बटन परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है:-

1. **प्रबंधक संचालन - प्रबंधक संचालन निम्नानुसार कार्य संपादित करेंगे** :-

    1. चालक डयूटी चार्ट में किस मार्ग पर किस वाहन को भेजा जाना है, उस वाहन के पूर्ण नं. (जैसे-RJ14PB2440) इन्द्राज करेंगे एवं संबंधित मार्ग पर जाने वाले चालक का पूर्ण नाम अंकित करेंगे।
    2. यदि किसी अवस्था में वाहन अथवा चालक की डयूटी में बदलाव किया जाना हो तो उसकी सूचना प्रबंधक यातायात को वाहन के डिपार्चर टाईम से आधा घंटा पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
    3. सभी चालकों के एक्टिव मोबाईल नं. ईटीआईएम कर्मी को उपलब्ध करवाये जाने हैं जिससे कि ईटीआईएम कर्मी ईटीआईएम जारी करते समय सही मोबाईल नं. का संधारण कर सकें।
    4. फर्म द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल पर सभी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे की वाहन Overspeed, Harsh Breaking, Harsh Turn इत्यादि नहीं करे । यदि किसी वाहन द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो सम्बंधित चालक से इस सम्बन्ध में संवाद स्थापित करेंगे एवं डीजल औसत में सुधार करेंगे।
    5. वाहन में स्थापित उपकरण वीटीएस/पैनिक बटन के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जावे। यह उपकरण चालक की जिम्मेदारी है ।
    6. प्रबन्धक संचालन वाहन को मार्ग पर भेजने से पूर्व वीटीएस सही प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, की पुष्टि मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल पर देखकर चालक लोगशीट पर करेंगे।
    7. वाहनों के समय से आवागमन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक संचालन की है अतः सुनिश्चित किया जावे कि सभी वाहनें अपने निर्धारित समय से कार्यशाला से निकले।
    8. वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन वाहन से सम्बंधित प्राप्त होने है । अतः उनके अनुसार समस्त सम्बंधित चालकों से सवांद कर संचालन पैरामीटर्स में सुधार लाने का प्रयास किया जावे ।

2. **प्रबन्धक (यातायात):- प्रबन्धक यातायात निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे:-**

    1. परिचालक वाहन प्रस्थान से पूर्व समस्त यात्रियों के समक्ष यह उदघोषित करेंगे कि आपके बांयी/दांयी तरफ पैनिक बटन आपकी सुरक्षा हेतु लगाये गये हैं। किसी विषम परिस्थिति की स्थिति में उक्त पैनिक बटन को 3 सैकण्ड दबाकर रखने से बस की

लोकेशन, बस का नम्बर एवं परिचालक का नं. संबंधित मुख्य प्रबंधक एवं प्रबंधक यातायात को एसएमएस के माध्यम से सूचित हो जावेगा एवं तदानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध करवायी जावेगी।

2. सभी परिचालकों को पाबंद करें कि यात्रियों द्वारा पैनिक बटन को अनावश्यक रूप से नहीं दबाया जावे।
3. परिचालक ड्यूटी चार्ट में परिचालक का नाम पूर्ण अंकित करेंगे।
4. समस्त परिचालकों के एक्टिव मोबाइल नम्बर ईटीआईएम कर्मी को देना सुनिश्चित करें ।
5. अगर किसी अवस्था में किसी परिचालक की ड्यूटी बदली जाती है तो सूचना डिपार्चर टाईम से आधा घंटा पूर्व ईटीआईएम कर्मी को देना सुनिश्चित करेंगे साथ ही प्रबन्धक संचालन से प्राप्त बदलाव भी ईटीआईएम कर्मी को देना सुनिश्चित करेंगे।
6. पैनिक बटन अथवा SOS बटन के नोटिफिकेशन की स्थिति में अविलम्ब सम्बंधित वाहन के चालक/ परिचालक से सम्पर्क स्थापित कर यथा स्थिति से कंट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर के प्रतिनिधि के दूरभाष नम्बर (9310497383) पर **कॉल करके/ message करके/Whatsapp करके** अवगत करवायेगे एवं आपात स्थिति होने पर निकटतम पुलिस थाने अथवा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे।

3. **ईटीआईएम कर्मी:- ईटीआईएम कर्मी निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे:-**

1. ईटीआईएम मशीन में चालक/परिचालक का पूर्ण नाम एवं मोबाइल नम्बर एवं मार्ग सही अंकित करें किसी भी स्थिति में चालक/परिचालक का नाम एवं मोबाइल नम्बर गलत इन्द्राज नहीं करें ।

4. **मुख्य प्रबन्धक:-**

1. वाहन में पैनिक बटन लगाये गये है। अगर किसी आपात स्थिति में यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय कंट्रोल रूम को प्राप्त होगी जिसके आधार पर मुख्यालय कंट्रोल रूम कर्मी द्वारा सम्बंधित चालक/परिचालक से दूरभाष पर सम्पर्क कर स्थिति का जायजा लिया जावेगा उसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही संपादित की जावेगी। अतः मुख्य प्रबन्धक सभी चालकों/परिचालकों को मुख्यालय कंट्रोल रूम दूरभाष नम्बर (9310497383) से आने वाले फोन पर सही जानकारी से कंट्रोल रूम कर्मी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । उपर्युक्तानुसार कार्य नहीं करने पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
2. फर्म प्रतिनिधि द्वारा सभी वाहनों में वीटीएस/पैनिक बटन उपकरण लगाये जाने में सहायता प्रदान करेंगे ।

साथ ही पैनिक बटन के अलर्ट का 112(Emergenry Response Support System) के साथ इंटीग्रेशन के पश्चात ERSS की टीम , पुलिस कण्ट्रोल रूम इत्यादि के साथ आपके द्वारा समन्वय कर प्रकरण का निस्तारण भी करवाया जाएगा |

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक: एफ3/मुख्या/आई.टी./27/24/365 दिनांक:07/05/24

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, रापनि., मुख्यालय जयपुर ।

2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (याता./प्रशा./यांत्रिकी),रापनि., मुख्यालय जयपुर ।

3. महाप्रबंधक (यातायात), रापनि., मुख्यालय जयपुर ।

4. जोनल मैनेजर ....जोन, रापनि. ।

5. मुख्य प्रबन्धक .... आगार, रापनि. ।

6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, टी.सी.आई.एल.भवन, ग्रेटर कैलाश-1,नई दिल्ली-110048 को भेज कर लेख है कि पैनिक बटन के अलर्ट का नोटिफिकेशन के साथ साथ हूटर का साउंड/ या प्री-रिकार्डेड ऑडियो मैसेज मोबाइल एप पर सम्बंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात), चालक इत्यादि के मोबाइल नम्बर पर प्रेषित करने की व्यवस्था करवाएं।

7. रक्षित पत्रावली ।

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

Document certified by Jyoti Chauhan <jyoti1in@gmail.com>.

Digitally Signed by JYOTI CHAUHAN
Designation : Executive Director
Date :07-05-2024 02:19:14